

राजस्थान सरकार
पशुपालन विभाग

11 JUN 2021

क्रमांक: प. 5(20)पपा/1994

जयपुर, दिनांक:-

अधिसूचना

राजस्थान मत्स्य क्षेत्र अधिनियम, 1953 (1953 का राजस्थान अधिनियम 16) की धारा 7 एवं राजस्थान मत्स्य क्षेत्र नियम 1958 के नियम 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार सम्पूर्ण राज्य में दिनांक 16 जून, 2021 से 31 जुलाई 2021 तक स्वच्छ जलाशय की मछलियों का विक्रय या वस्तु विनिमय के लिये प्रस्थापना करना या उसे अभिदर्शित करना तुरन्त प्रभाव से प्रतिबंधित करती है।

आज्ञा से

(अशोक कुमार सोनी)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. निजी सचिव, शासन सचिव महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, पशुपालन, एवं मत्स्य विभाग राजस्थान।
4. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज. जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, राज. जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राज. जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, पशुपालन मत्स्य एवं गोपालन विभाग राजस्थान।
8. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
9. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, राज. जयपुर।
10. प्रबंध निदेशक, राज. राज्य पथ परिवहन निगम, राज. जयपुर।
11. निदेशक, मत्स्य विभाग, राज. जयपुर।
12. निदेशक, जन सम्पर्क विभाग, राज. जयपुर।
13. समस्त जिला कलक्टर/पुलिस अधीक्षक, राज.।
14. अधीक्षक, राज्य केन्द्रिय मुद्रणालय जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त अधिसूचना को विशेष राजपत्र में प्रकाशित करवाकर प्रकाशित राजपत्र की प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को एवं निदेशक, मत्स्य विभाग, राज. जयपुर भिजवाने का श्रम करावें।
15. समस्त सहायक निदेशक, समस्त मत्स्य विकास/परियोजना अधिकारी मार्फत निदेशक मत्स्य विभाग, राज. जयपुर।
16. मुख्य वाणिज्यिक अधीक्षक, पश्चिमी रेलवे, प्रधान कार्यालय, मुम्बई, /उत्तर रेलवे चंडीगढ़/पूर्वी रेलवे, कोलकाता/मध्य रेलवे इलाहाबाद/ दक्षिण रेलवे चेन्नई।
17. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव